दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 14 जुलाई 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 286

महत्वपूर्ण एवं खास

गुजरात दंगे :पुलिस ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को गिरफ्तार किया

अहमदाबाद (आरएनएस)। गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 2002 के साम्प्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पालनपुर जेल से गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि भट्ट को दंगों के संबंध में बेगुनाह लोगों को गलत तरीके से फंसाने की साजिश के एक मामले में स्थानांतरण वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी किसी अन्य प्राथमिकी या मामले में जेल में बंद व्यक्ति को हिरासत में लेने से पहले स्थानांतरण वारंट लेती है। इसके बाद आरोपी की हिरासत जांच एजेंसी को देने के लिए वारंट को संबंधित जेल अधिकारियों के पास भेजा जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार के बाद इस मामले में गिरफ्तार भट्ट तीसरे आरोपी हैं। वह 27 साल पुराने एक मामले में 2018 से बनासकांठा जिले की पालनपुर जेल में बंद थे। यह मामला राजस्थान के एक वकील को गलत तरीके से फंसाने से जुड़ा है। मुकदमे के दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी को जामनगर में हिरासत में मौत के एक मामले में उम्रकैद की सजा भी सुनायी गयी। अपराध शाखा ने पिछले महीने सीतलवाड़ और श्रीकुमार को गिरफ्तार किया था और वे अभी जेल में हैं।

सुशांत राजपूत मामले में एनसीबी ने दायर की चार्जशीट

कहा-रिया चक्रवर्ती, अभिनेता को करती थी ड्रग की डिलीवरी

मुंबई (आरएनएस)। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर बुधवार को एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने का आरोप लगाया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में दायर चार्जशीट में दावा किया था कि अभिनेता रिया चक्रवर्ती को उनके भाई शोविक सहित सह-आरोपियों से गांजा की कई डिलीवरी मिलीं और उन्हें राजपूत को सौंप दिया गया। सेंट्रल एंटी ड्रग एजेंसी ने पिछले महीने स्पेशल नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) कोर्ट में 35 आरोपियों के खिलाफ ड्राफ्ट चार्जेस दाखिल किया था, जिसका विवरण मंगलवार को उपलब्ध कराया गया।

फेमा उल्लंघन : ईडी ने मेंगलुरू के एक निवासी की 17.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशों में संपत्ति अर्जित करने और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन कर विदेशी लेनदेन करने के आरोप में कर्नाटक के एक निवासी की 17.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मेंगलुरू के निवासी के. मोहम्मद हारिस के दो मकान और एक औद्योगिक भूखंड को जब्त कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि हारिस ने फेमा, 1999 की धारा-4 का उल्लंघन करते हुए अजमान संयुक्त अरब अमीरात में एक फ्लैट हासिल किया, विदेशी में बैंक खाते खोले तथा निवेश किया और संयुक्त अरब अमीरात में एक विदेशी व्यापार इकाई में उसके करीब 17,34,80,746 रुपये के शेयर हैं। एजेंसी ने कहा कि अधिनियम की धारा 37ए के अनुसार, भारत के बाहर विदेशी मुद्रा, अचल संपत्ति आदि के इस कानून का उल्लंघन करके हासिल करने का संदेह होने पर प्रवर्तन निदेशालय भारत के भीतर उतनी ही कीमत की उस आरोपी व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर सकता है। एजेंसी के अनुसार, कुल 17.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

मनाली-लेह हाईवे पर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, तीन की मौत, तीन घायल

मनाली (कुल्लू) (आरएनएस)। मनाली लेह हाईवे पर दर्दनाक हादसा पेश आया है। मिली जानकारी के मुताबिक दारचा-सरचू के पास दीपक ताल के नजदीक एक ट्रक (एचपी 72 -8299) दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को सेना एंबुलेंस से सिविल अस्पताल केलांग पहुंचाया गया हैं। जहां उनका उपचार चल रहा है। लाहौल के एसपी मानव वर्मा ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दारचा से पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। मामला दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है।

बारिश-बाढ़ से महाराष्ट्र में हाहाकार, अब तक 84 लोगों की गई जान : छह जिलों में रेड अलर्ट जारी

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है. बारिश के आगे हर कोई बेबस और लाचार नजर आ रहा है. महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से अब तक 84 लोगों की मौत हो गई है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. नासिक और नागपुर में सबसे ज्यादा बर्बादी और तबाही देखने को मिल रही है. नदियां उफान पर हैं. नदी किनारे बन घर और मंदिर सबकुछ डूब गए हैं तो वहीं नागपुर में सैलाब में एक कार डूब गई.

गढ़चिरौली और अकोला में भी बाढ़ कहर बरपाने लगी हैं. लोगों के घर-बार भी पानी-पानी हो चुके हैं. गढ़चिरौली में बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नजर बनी हुई है और उन्होंने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है. दूसरी तरफ अकोला में भी

नदियों के उफान की वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं. बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वहीं मौसम विभाग ने पालघर, नासिक, रायगड, पुणे, सतारा और कोल्हापुर में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. ऐसे में महाराष्ट्र के इन जिलों में बारिश कहर परपा सकती है.

फिलहाल प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है. पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण नासिक शहर में मंगलवार को स्कूल और कॉलेज बंद रहे. लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया. नासिक शहर में मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक 24 घंटे में 97.4 मिमी बारिश हुई. बहरहाल, बाद में बारिश कुछ देर रुक गई, जिससे लोगों को राहत मिली. इससे पहले जिले के सप्तश्रृंगी मंदिर के पास सोमवार को बहुत तेज बारिश हुई.

बारिश की तबाही में गुजरात में 65 मौत

देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से भारी तबाही मची है। गुजरात में पिछले दो दिन में 65 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक गाड़ी बाढ़ में बह गई, जिसमें एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई और तीन लोग लापता हैं। देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश हो रही है। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सूखे के हालात बन गए हैं। लेकिन बाकी लगभग पूरे देश में मॉनसून की भारी बारिश हो रही है।

असम में तबाही थमी है तो गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि पिछले दो दिन में 65 लोग जान गंवा चुके हैं। सूरत सहित छह जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजकोट में अस्पताल में पानी भरने पर मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इधर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मध् प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित 33 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है।

उधर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ के चलते राज्य का आंध्र प्रदेश से संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र में नागपुर ग्रामीण जिले की सावनेर तहसील में मंगलवार दोपहर दो बजे यात्रियों से भरी एक स्कार्पियो गाड़ी पानी में बह गई। इसमें सवार छह लोगों में से तीन के शव मिल गए हैं। बाकी की तलाश की जा रही है। तेलंगाना में भी बारिश का अलर्ट जारी है और स्कूल, कॉलेज बंद किए गए हैं।

धनबाद में रेलवे का अंडरपास धंसने से 4 मजदूरों की मौत, दो घायल

धनबाद में एक निमार्णाधीन रेलवे अंडरपास के अचानक ध्वस्त हो जाने से मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गये। मंगलवार रात को हुए इस हादसे के बाद धनबाद रेल मंडल में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। धनबाद से प्रधानखानता स्टेशन की ओर जाने वाले रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। धनबाद रेल मंडल की कई ट्रेनें परिवर्तित रूट से चलाई जा रही हैं। यह हादसा प्रधानखानता रेलवे स्टेशन के पास स्थित छाताकुल्ली गांव में हुआ। बताया गया कि यहां निमार्णाधीन रेलवे अंडरपास के लिए मजदूर काम कर रहे थे तभी पास की रेलवे लाइन से एक मालगाड़ी के गुजरते ही मिट्टी का मलबा गिर पड़ा।

45 असोरटेड गन के साथ 2 भारतीय गिरफ्तार : कस्टम विभाग की एयरपोर्ट पर बड़ी कार्यवाई

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 गन के साथ 2 भारतीयों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम जगजीत सिंह और जसविंदर कौर हैं. दोनों पति पत्नी हैं. ये दोनों 10 जुलाई को वियतनाम से भारत वापस लौटे थे. अधिकारियों के मुताबिक एनएसजी ने शुरुआती जांच में कहा है कि हैंड गन्स पूरी तरह फंक्शनल है और .22 कैलिबर की है. फिलहाल बैलिस्टिक रिपोर्ट का कस्टम को इंतज़ार है, जिसके बाद साफ होगा कि ये हैंड गन्स असली है या नकली. कस्टम विभाग के मुताबिक शुरुआती जांच में एनएसजी का कहना है कि ये पिस्तौल बिल्कुल असली लग रही हैं, जिन्हें अब बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया है. जिसकी रिपोर्ट के बाद ही इन गन से स्थिति साफ हो पाएगी. अधिकारियों ने बताया कि जगजीत सिंह 2 ट्राली बैग में इन असोरटेड गन लेकर आया था, जो उसके भाई मंजीत सिंह ने इसे दिए थे.

मंजीत पेरिस से वियतनाम इन्हें बैग देने आया था. इन गनों की कीमत करीब 22 लाख 50 हजार रुपये है. दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वो इससे पहले टर्की से 25 असोरटेड गन पहले भी ला चुके हैं. कस्टम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी बैलिस्टिक रिपोर्ट के बाद ही गन्स की स्थिति साफ हो पाएगी. फ़िलहाल कस्टम गिरफ्तार आरोपी जगजीत सिंह के भाई मनजीत की तलाश कर रही है क्योंकि मंजीत के ही पेरिस से लौटने के बाद ये दोनों बैग इन्हें दिये थे. उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हथियारों के इस जखीरे से पिक्चर साफ हो पाएगी.

बुलडोजर कार्यवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

❑ 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

नईदिल्ली (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. दरअसल, जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई हुई थी जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट विभिन्न राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगा। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में हो रही कार्रवाई पर एकसाथ सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है। एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानूनी कार्रवाई को बेवजह सनसनीखेज बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा कि ये कार्रवाई कानून के तहत की गई है। जमीयत की याचिका अवैध निर्माण को बचाने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीयत की याचिका को खारिज करने की मांग की है।

राज्य सरकार ने कहा है कि सहारनपुर में दो घरों का उतना निर्माण हटाया गया, जो सरकारी जमीन पर था। सहारनपुर में नाबालिग की गिरफ्तारी का दावा झूठा है। प्रयागराज का मामला हाई कोर्ट में है। इस मामले में जमीयत-उलेमा-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा है कि इसे रूटीन कार्रवाई बताना गलत है। जमीयत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद सबक सिखाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई का बयान देते हैं। जमीयत ने कहा है कि प्रयागराज में तोड़ा गया मकान जावेद की पत्नी के नाम था। सहारनपुर में बिना नोटिस के मकान तोड़ा, क्योंकि उसके किराएदार के बेटे पर दंगे का आरोप था।

इस मामले में राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर जमीयत पर मामले को गलत रंग देने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार ने कहा है कि जिन पर कार्रवाई हुई उन्हें तोडऩे का आदेश कई महीने पहले जारी हुआ था। खुद हटा लेने के लिए काफी समय दिया गया था। बुलडोजर की कार्रवाई से दंगे का कोई संबंध नहीं। उसका मुकदमा अलग है।

राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

❑ स्थायी कानूनी संरक्षण देने की है मांग

नईदिल्ली (आरएनएस)। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर संरक्षण देने की मांग पर जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को आश्वासन दिया है कि मामला 26 जुलाई को सुनवाई के लिए लगाया जाएगा.

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के शासनकाल में शुरू की गई सेतु समुद्रम परियोजना के तहत जहाजों के लिए रास्ता बनाने के लिए राम सेतु को तोड़ा जाना था. बाद में कोर्ट के दखल के बाद यह कार्रवाई रुक गई थी. तब से राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई लंबित है.

2014 में एनडीए सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट को बताया था

कि राष्ट्रीय हित में यह तय किया गया है कि राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. सरकार सेतु समुद्रम परियोजना के लिए वैकल्पिक रास्ता तलाश रही है. हालांकि, राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देकर उसे भविष्य के लिए भी संरक्षित रखने पर सरकार ने अभी तक रुख स्पष्ट नहीं किया है.

2017 से लेकर अब तक स्वामी कई बार अपनी याचिका पर सुनवाई के अनुरोध कर चुके हैं. कोर्ट ने 13 नवंबर 2019 को केंद्र को मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था. पिछले साल अप्रैल में तत्कालीन चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा था कि उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है. इसे अगले चीफ जस्टिस एन वी रमना के सामने उचित निर्देश के लिए लगाया जाए.

बीजेपी के राज्यसभा सांसद स्वामी ने आज मामला चीफ जस्टिस रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की बेंच में रखा. उन्होंने अनुरोध किया कि मामले को जल्द सुना जाए. इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी याचिका और इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को 26 जुलाई को सुना जाएगा.

तमिलनाडु के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार के बीच आपस में जुड़ी लाइमस्टोन की एक श्रृंखला है. भूगर्भशास्त्री मानते हैं कि पहले यह श्रृंखला समुद्र से पूरी तरह ऊपर थी. इससे श्रीलंका तक चल कर जाया जा सकता था. हिंदू धर्म में इसे भगवान राम की सेना द्वारा बनाया गया सेतु माना जाता है. दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसके मानव निर्मित होने की मान्यता है. वहां इसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है.

माकपा कार्यकर्ता हत्याकांड : केरल उच्च न्यायालय ने 13 आरएसएस कार्यकर्ताओं को किया बरी

कोच्चि (केरल) (आरएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने 2008 में तिरुवनंतपुरम में माकपा के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 13 कार्यकर्ताओं को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रहा। न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन की पीठ ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराने के सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील विचार के लिए मंगलवार को मंजूर कर ली। पीठ ने मंगलवार देर शाम दिए आदेश में कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता साजिश, द्वेष और छल से पनप रही है जो अक्सर नफरत फैलाती है जिसका नतीजा बिना सोचे-समझे रक्तपात के रूप में सामने आ रहा है।

उसने कहा, ''जिस तरीके से अदालत के समक्ष घटनाक्रम पेश किए गए, उससे एक मनगढ़ंत कहानी को परिभाषित करने के लिए गवाहों को सिखा-पढ़ाने तथा सबूत एकत्रित करने की सोची-समझी कोशिश की बू आती है। हम आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी करते हैं, अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ अपराधजन्य परिस्थितियों को साबित करने में नाकाम रहा है।'' गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2016 को तिरुवनंतपुर में अतिरिक्त सत्र अदालत ने आरएसएस के 13 कार्यकर्ताओं को एक अप्रैल 2008 को माकपा कार्यकर्ता वी वी विष्णु की हत्या के संबंध में उम्रकैद की सजा सुनायी थी। निचली अदालत ने सभी 13 आरोपियों को माकपा कार्यकर्ता की हत्या का दोषी ठहराया था।

दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रधानाचार्यों की चयन प्रक्रिया पर यूपीएसई चेयरमैन को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में लगभग एक दशक के लम्बे अन्तराल के बाद संघ लोक सेवा आयोग(यूपीएसई) द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए चयन परीक्षा आयोजित की गई है। इस बाबत उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यूपीएसई के चेयरमैन डॉ. मनोज सोनी को चि_ी लिख कर उनका आभार व्यक्त किया और यूपीएसई द्वारा प्रधानाचार्यों के चयन के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले 6 विषय वास्तुओं के अतिरिक्त 5 और योग्यताओं पर ध्यान देने की बात कही।ज्ञात ही कि कि यूपीएसई द्वारा प्रधानाचार्यों के चयन के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा 300 अंकों की होती है और पूरे रिजल्ट में इसका वेटेज 75 प्रतिशत होता है। यूपीएससी 6 विषयों पर प्रधानाध्यापकों के लिए एक उम्मीदवार की जांच करता है, इनमें शामिल है; 1. सामान्य ज्ञान समकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दे, 2. हिंदी और अंग्रेजी भाषा कौशल, 3. तर्क क्षमता और मात्रात्मक योग्यता, 4. शिक्षा नीतियां और शिक्षा माप और मूल्यांकन, 5. मैनेजमेंट और फाइनेंसियल एडमिनिस्ट्रेशन, 6. कार्यालय संबंधी कामकाज प्रक्रिया। मनीष सिसोदिया ने इन 6 बिन्दुओं के अतिरिक्त इस बार प्रधानाचार्यों की चयन प्रक्रिया के लिए यूपीएसई को 5 और बिंदु पर ध्यान देने का सुझाव दिया है, इनमें शामिल है। प्रत्येक बच्चे और उसकी सीखने की क्षमता के प्रति विश्वास, दिल्ली की संस्कृति और विविधता का सम्मान, दिल्ली की जमीनी हकीकत की समझ, शिक्षकों को प्रेरित

करने और उन्हें गाइडेंस देने में सक्षमता, रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट, हमेशा पढऩे-सीखने के लिए तत्परता है। सिसोदिया ने कहा कि प्रधानाचार्यों के चयन के दौरान यूपीएसई इन सभी बिन्दुओं का भी ध्यान रखे क्योंकि प्रधानाचार्य न केवल एक अकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर होते है बल्कि वो एक स्कूल लीडर की भूमिका भी निभाते है ऐसे में एक प्रधानाचार्य के अंदर ये सभी गुण होना बेहद महत्वपूर्ण है। सिसोदिया ने चि_ी में लिखा कि, 17 जुलाई 2022 भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा क्योंकि इस दिन शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में प्रधानाचार्यों के 363 पदों के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाने के बाद से स्कूल एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने की सबसे बड़ी कवायद होगी। उन्होंने आगे लिखा कि 2012 में हुई पिछली परीक्षा और 2022 की वर्तमान भर्तियों के बीच के समय अन्तराल में बहुत से सराहनीय बदलाव आए है और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह आया है कि पिछले 7 सालों में, दिल्ली सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम के प्रति दोबारा जनता के विश्वास को बढ़ाने का काम किया है।मनीष सिसोदिया ने लिखा कि, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर-पॉवर के विजऩ और सोशल-इकोनोमिकल बैकग्राउंड की परवाह किए बिना सभी बच्चों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली एक समान शिक्षा प्रणाली के लक्ष्य में विश्वास रखती हैं। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस बात से पूरी तरह सहमत है कि एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें हर बच्चे का स्वागत किया जाता हो, उसे सीखने के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण मिले और उन्हें हर बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए।सिसोदिया ने लिखा कि शिक्षा दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि कह सकता हूं कि यदि कोई एक ऐसा फैक्टर है जो एनईपी 2020 के विजऩ को वास्तविकता में बदल सकता है, तो वह है एक स्कूलों के प्रधानाचार्य। उन्होंने आगे कहा कि सरकारें बेशक पर्याप्त संसाधन मुहैया कर सकती हैं, बदलाव लाने के एजेंडे को स्पष्ट कर सकती है लेकिन उसे पूरा करने का काम प्रधानाचार्य ही करते हैं। इसलिए प्रधानाचार्य की भूमिका केवल एक अकादमिक प्रशासक की नहीं बल्कि एक स्कूल लीडर की भी होती है। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा कि, दिल्ली सरकार के स्कूलों में औसत नामांकन लगभग 1800 है और य इन छात्रों का जीवन अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के नेतृत्व, प्रतिबद्धता और विश्वास से प्रभावित होता है। जहाँ एक स्कूल अपने छात्रों के चरित्र और समाज को आकार देता है वहीं राष्ट्र को उसके छात्रों द्वारा आकार दिया जाता है।